फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तेजा — **विपक्षी : श्री नारायण**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 75/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक बताकर विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्क सुने। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण की पैतृक भूमि होना बताया हैं। भूमि पूर्व में मूल पुरूष काना के नाम दर्ज थी, काना के वारिसों में उसके पुत्र हेमा व उदा हुए। हेमा के पुत्र भजा हुआ, भजा का पुत्र धुला हुआ, धुला के वारिस पत्रावली में विपक्षी सं. 1 से 4 होना बताया। काना के अन्य पुत्र उदा हुआ जिसके वारिसों में हीरा व जेता हुए। हीरा के पुत्र रामा, सुखा, खेमा, खेमणी हुए जिनमें रामा, सुखा, खेमा, खेमणी फौत हो चुके हैं। रामा, सुखा व खेमणी के वारिस वादी सं. 1 से 12 हैं। उक्त भूमि पूर्व में हेमा व उदा के नाम बराबर हिस्से से दर्ज थी जो सेटलमेन्ट के पश्चात् उदा के नाम से हटाकर भजा पिता हेमा के नाम दर्ज कर दी गई। भूमि पैतृक होने से अपने हिस्से की घोषणा हेतु घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। मौके पर वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होना बताया हैं। भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से विपक्षीगण भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है इसलिए विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक रोका जाना आवश्यक हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 367 रकबा 15 बीघा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 1[illegible]
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली